कार्यालय उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
देवघर।

निविदा आमंत्रण सूचना

खरीफ विपणन मौसम 2015–16 में धान के परिवहन हेतु निविदा

खरीफ विपणन मौसम 2015–16 में किसानों से धान अधिप्राप्त की जानी है। अधिप्राप्ति हेतु लैम्पस/पैक्स अधिप्राप्ति केन्द्र के रूप में कार्य करते हैं। प्रत्येक प्रखंड में एक लैम्पस/पैक्स का चयन किया गया है। अधिप्राप्त किये गये धान का परिवहन लैम्पस/पैक्स से राईस मिल एवं धान से परिवर्तित चावल का परिवहन राईस मिल से भारतीय खाद्य निगम के गोदाम तक करने के लिए निविदा आंमत्रित की जाती है। खरीफ विपणन मौसम 2015–16 में धान के परिवहन हेतु निविदा से संबंधित तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड अलग–अलग लिफाफे में डालकर उसपर बड़े एवं साफ अक्षरों में ''तकनीकी बीड''/''वित्तीय बीड'' अंकित कर एक बड़ा लिफाफा में भरकर जिला आपूर्ति कार्यालय, देवघर में दिनांक 02.12.2015 को 02.00 बजे अप0 तक जमा करना होगा। सभी निविदा उसी दिन 04.00 बजे संध्या अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में खोला जायेगा। निविदादाता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि इसमें भाग ले सकेंगे। निविदा की शर्तें देवघर जिला के NIC वेबसाईट www.deoghar.nic.in , जिला आपूर्ति कार्यालय के सूचना पट्ट तथा जिला सहकारिता पदाधिकारी के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।

ह0/–
उपायुक्त,
देवघर।

तकनीकी बीड के लिए आवश्यक शर्तें/कागजात

1. संबंधित जिला द्वारा निर्गत परिवहन का कारोबार करने एवं व्यापार स्थल रखने संबंधी प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति।
2. अनुमण्डल पदाधिकारी के अन्यून पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति।
3. उपायुक्त द्वारा निर्गत अधिकत्तम 03 माह पूर्व का चरित्र प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति।
4. उपायुक्त के पक्ष में 10,000 (दस हजार) रू0 अग्रधन राशि (रिफन्डेबुल) का बैंक ड्राफ्ट जो आवश्यकतानुसार परिवहनकर्त्ता द्वारा वैद्य कराकर पुनः जमा कराना होगा। परिवहनकर्त्ता नियुक्त होने के उपरांत पूरे कार्य काल तक रखा जायेगा एवं आवश्यक कार्य में टाल–मटोल करने/अनियमितता बरतने के विरूद्व इसे जब्त किया जा सकेगा।
5. परिवहनकर्त्ता द्वारा खाद्यान्न परिवहन करने का कम से कम दो वर्षों का अनुभव जो विगत 03 वर्षों के अंदर का होगा के प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति।
6. अद्यतन आयकर रिटर्न की अभिप्रमाणित प्रति।
7. उपायुक्त, के नाम से 50,000 (पचास हजार) रू0 की बैंक गारंटी, जो परिवहन अभिकर्त्ता नियुक्त होने के उपरांत परिवहन में अनियमितता के लिए जिम्मेवार पाये जाने पर संबंधित बैंक से वसूलनीय होगा।

वित्तीय बीड हेतु प्रपत्र

अभिप्रमाणित फोटोग्राफ

1. आवेदित क्षेत्र का नाम :–
2. निविदादाता का नाम :–
3. पिता/पति का नाम :–
4. आवासीय पता :–
   I स्थायी :–
   II वर्तमान :–
5. व्यापार स्थल/कार्यालय का पता :–
   (मोबाईल संख्या के साथ)

अभिप्रमाणित हस्ताक्षर

6. परिवहन दर/क्विंटल :–

क्रमांक सं0	दूरी	दर प्रति क्विंटल
1	10 किलोमीटर तक	
2	10 किलोमीटर से उपर एवं 20 किलोमीटर तक	
3	20 किलोमीटर से उपर एवं 30 किलोमीटर तक	
4	30 किलोमीटर से उपर एवं 50 किलोमीटर तक	
5	50 किलोमीटर से उपर एवं 100 किलोमीटर तक	
6	100 किलोमीटर से उपर	

ह0/–
उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, देवघर।